

भारत सरकार
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
(विद्युत मंत्रालय)
सेवा भवन (उत् तरी खंड) कक्ष सं. 622, छठा तल,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
टेली फ़ैक्स - 26103246, ई-मेल - celegal-cea@gov.in
वेबसाइट - www.cea.nic.in

सार्वजनिक नोटिस

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा) विनियम, 2024 के मसौदे को अधिसूचित करने का प्रस्ताव है। हितधारकों से टिप्पणी हेतु उक्त प्रारूप विनियम, के.वि.प्रा. की वेबसाइट www.cea.nic.in पर उपलब्ध हैं। प्रारूप विनियमों का निरीक्षण 10 सितम्बर, 2024 तक 11:00 बजे से 16:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को मुख्य अभियंता (विधि), के.वि.प्रा., कमरा नं. 622, सेवा भवन (उत् तरी खंड), छठा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

2. सभी हितधारकों एवं आम जनता से प्रारूप विनियमों पर अपनी टिप्पणियां डाक अथवा ई-मेल (celegal-cea@gov.in) के जरिए मुख्य अभियंता (विधि), कमरा नं. 622, सेवा भवन, (उत् तरी खंड), छठा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को 10 सितम्बर, 2024 तक भेजने का अनुरोध किया जाता है।

(राकेश कुमार)
सचिव, के.वि.प्रा.

Cbc 34102/12/8004/2425